(18)

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः–प.2( )जविप्रा/वाहन/टैक्सी अनु. बोली/2023–24/डी–   दिनांक–

"बोली प्रपत्र"

विषयः प्राधिकरण में जयपुर शहर व जयपुर शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने की एक–वर्षीय (2023–24) दर संविदा करने के लिए।

1. बोलियॉ दिनांक 20/02/2024 को सायं 3.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी।
2. बोली देने वाली फर्म का पूरा नाम व पताः..
3. पता जिस पर बोली प्रेषित की गई हैः– सदस्य सचिव, उपापन समिति उपायुक्त (वाहन) कमरा नं. 24 जविप्रा, मुख्य भवन जयपुर।
4. बोली सूचना संख्याः– क्रमांक प. 2( ) जविप्रा/वाहन/टैक्सी अनु. बोली/2023–24 डी–........................ दिनांक ....
5. बोली प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– चालान सं.......................दिनांक................ द्वारा जमा करा दिये है/बोली शुल्क रूपयें 200/– का डी.डी. सं............... दि.............................. बोली के साथ संलग्न है। (राजस्थान के सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगो को बोली प्रपत्र 50 प्रतिशत की राशि पर दिया जायेगा।)
6. कार्य की अनुमाति लागत 10.00 लाख रूपये।
7. बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि रूपये 20000/– (सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम) संलग्न है।
8. प्राधिकरण में जयपुर शहर व जयपुर शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने हेतु एक वर्ष की दर संविदा हेतु दरें संलग्न "जी शिड्यूल" में अंकित कर दी गई है।
9. उक्त दरें एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुबन्ध अवधि पारस्परिक सहमति से 3 माह तक और बढ़ाई जा सकेगी।
10. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते स्वीकार है, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
11. निविदा/बोली की वैधता अवधि 90 दिन की होगी।

बोलीदाता/फर्म हस्ताक्षर
नामः ....
पताः ....
....
मो./टेलीफोनः...............................

(19)

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—प.2( )जविप्रा/वाहन/टैक्सी अनु. बोली/2023—24/डी— दिनांकः—

प्राधिकरण में जयपुर शहर व जयपुर शहर से बाहर जाने के लिए टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने की एक—वर्षीय (2023—24) दर संविदा हेतु बोलीदाता की तकनीकी योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते

A. तकनीकी योग्यतायें :—

क्रं. सं.	तकनीकी योग्यताऐं	वांछित प्रपत्र
1.	बोलीदाता को किसी राजकीय संस्था, विभाग, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन प्रतिष्ठित संस्थान आदि में अनुबन्धित टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने सम्बन्धी पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2020—21, 2021—22 एवं 2022—23) में से कम से कम 1 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।	बोली दाता संस्था/विभाग/निगम/बोर्ड/कॉरपोरेशन प्रतिष्ठित संस्थान आदि द्वारा जारी किये गये पिछले तीन वित्तीय वर्षो 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23) में से कम से कम एक वर्ष का कार्यादेश की छायाप्रति एवं कार्यानुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
2.	बोलीदाता को किसी बोर्ड, कार्पोरेशन, प्राधिकरण निगम द्वारा RTPP Act 2012 की धारा—7 के अनुसार डिबार एवं डिफाल्टर नही होना चाहिए।	राशि रूपयें 50/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प (एक माह से अधिक पुराना नहीं हो) पर डिबार एवं डिफाल्टर नहीं होने का स्व—प्रमाणित शपथ—पत्र संलग्न करना होगा।
3.	बोलीदाता द्वारा जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी अथवा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर इस बाबत शपथ पत्र।	बोलीदाता द्वारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने पर प्रमाण—पत्र की स्व—सत्यापित छायाप्रतियॉ अथवा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियकल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4.	बोलीदाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।	बोलीदाता द्वारा पेन कार्ड की स्व—प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
5.	बोलीदाता फर्म का अनुबन्धित टैक्सी वाहन व्यवसाय का पिछले दो वित्तीय वर्षो में औसतन टर्नओवर 10 लाख रूपयें वार्षिक होना चाहिए।	फर्म को पिछले दो वित्तीय वर्षो (, 2021—22, 2022—23) के टर्नओवर का विवरण तथा Audited final Accounts चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित संलग्न करनी होगी।
6.	बोलीदाता के स्वयं/फर्म के नाम से 3 एसी लग्जरी वाहनों (मॉडल 2020 या 2020 के बाद) का पंजीकरण होना आवश्यक है।	इस सम्बन्ध में बोलीदाता को आर.सी. की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
7.	बोलीदाता द्वारा 2% अमानता राशि निविदा प्रपत्र के साथ जमा करवाया जाना आवश्यक हैं।	2% अमानता राशि का चालान जमा करवाकर एक प्रति/बैंक डी.डी. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

<u>नोट</u> :—उक्त तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाता की वित्तीय बोलियॉ ही खोली जावेगी।

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर
(20)

B. बोलीदाता को निर्देश :–

1. बोलियॉ ऑफलाईन **Single Stage** (Two Part) पद्वति तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओ की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को ऑफलाईन डी.डी./चालान के माध्यम से बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
4. सशर्त बोलियॉ अस्वीकार्य होगी।
5. बोलीदाता को इस बोली आमन्त्रण सूचना प्रपत्र के साथ Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 प्रावधानों के तहत् संलग्न Annexure A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगें। एक्ट की धारा–38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रकियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. बोलीदाता अमानता राशि 2%, तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ चालान द्वारा जमा करवाकर जमा चालान की एक प्रति/बैंक डी.डी. संलग्न करेगा। शेष राशि कार्य सम्पादन राशि 0.5%, बोली स्वीकार किये जाने के कार्यादेश जारी होने की तिथि से 7 कार्य दिवस के भीतर चालान/बैंक डी.डी. से जमा करानी होगी अर्थात कुल प्रतिभूति राशि 2.5% रहेगी (प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन राशि) को प्रतिभूमि राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में किया जावेगा।। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि कोई बकाया नहीं होने पर तीन माह की अवधि बाद अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा। साथ ही राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 के नियम 2013 नियम 75 (1) (2) एवं (3) के क, ख, ग, घ, ड लागू होगा।
7. दर संविदा की अवधि 1 वर्ष होगी, जिसे RTPP Act/Rules के नियमानुसार अधिकतम 3 माह के लियें बढ़ाया जा सकेगा।
8. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं जविप्रा के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आयुक्त, जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।
9. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।
10. अनुबन्ध अवधि के दौरान दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्वि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर
(21)

C. कार्य निष्पादन सम्बन्धी शर्ते :–

1. सफल बोलीदाता को सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार अच्छी कण्डीशन के टैक्सी वाहन उपलब्ध करवाने होगें। वाहन का मॉडल 2020 से पूर्व का नही होना चाहिए।
2. बोलीदाता को वित्तीय प्रपत्र में दिये गये समस्त वाहनों की दरें देना आवश्यक है।
3. बोली खुलने के पश्चात् बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता या अनुबन्ध पश्चात् आपूर्ति समय पर नही करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा, तथा फर्म के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
4. सभी शर्तो की पालना बोलीदाता द्वारा की जावेगी। उनके द्वारा किसी भी शर्त या शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुबन्ध निरस्त कर अमानता राशि जब्त की जा सकती है।

D. मूल्यांक कसौटी एवं अनुबन्ध योग्यता निर्धारण प्रकिया :–

1. बोलीदाताओं द्वारा वित्तीय प्रपत्र में प्रस्तुत दरों को प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिए न्यूनतम दरदाता का निर्धारण उपापन संस्था द्वारा किया जावेगा, तत्पश्चात् प्रत्येक प्रकार के वाहन के न्यूनतम रहने वाले बोलीदाता की बिड़ न्यूनतम मानी जावेगी। Rajasthan Tranperancy in Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
2. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, सक्षम समिति स्वविवेक के आधार पर एक से अधिक बोलीदाताओं से कार्य अनुबन्ध कर सकती है। न्यूनतम दरों पर एक से अधिक निविदादाताओं का पैनल बनाया जा सकेगा।
3. बोलीदाताओं द्वारा समस्त दरें सभी प्रभारो सहित दी जानी है। जी.एस.टी यदि लागू है तो पृथक से देय होगा।
4. सभी दरों को सुपाठ्य एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना चाहिए, उपरिलेखन एवं कांट–छाट पर स्पष्ट हस्ताक्षर बोलीदाता द्वारा होने चाहिए, दरें अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिऐ।

अन्य शर्ते/अनुदेश :–

1. प्राधिकरण द्वारा अतिविशिष्ठ व्यक्तियों को लाने ले जाने /जयपुर से बाहर जाने के लिए हेतु एसी/नॉन ए.सी. वाहन (इटियोस/स्विफ्ट डिजायर/ इनोवा क्रेस्टा/टवेरा/फोरच्यूनर/बोलेरो/ पिकअप/महिन्द्रा एस. यू. वी. 500/बस ए.सी. 25/35 सीटर/बस टेम्पू ट्रेवल्स) प्रतिदिन किराये पर लेने हेतु निविदाऐं आंमत्रित की गई है।
2. बोलीदाता को वाहन उपलब्ध कराने की सूचना देने के आधे घन्टे के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

उपायुक्त (वाहन) ज.वि.प्रा. जयपुर (22)

3. सफल बोलीदाता को यथा सम्भव नये वाहन उपलब्ध कराने होगें। वर्ष 2019 से पूर्व के मॉडल के वाहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगें। प्रयोगकर्ता अधिकारी को वाहन संभलाने से पूर्व उपायुक्त (वाहन) प्रकोष्ठ में वाहन का निरीक्षण करवाया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वाहन नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
4. संवेदक द्वारा वाहन निर्देशित समय पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक की Risk and Cost पर कर ली जायेगी तथा स्वीकृत दरों से अधिक भुगतान की वसूली संवेदक की प्रतिभूति/बकाया बिलो से कर ली जायेगी तथा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
5. जीएसटी का भुगतान संवेदक द्वारा मांग किये जाने पर प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। संवेदक को राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार को देय रोड़ टैक्स, आदि का भुगतान स्वयं करना होगा। टोल टैक्स/पार्किंग का भुगतान बिल के साथ भुगतान की रसीदे संलग्न करने पर प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। जी.एस.टी. की दरो में बदलाव होने पर लागू दरों के अनुरूप भुगतान किया जावेगा।
6. संवेदक द्वारा जीएसटी चार्ज किये जाने की स्थिति में नियमानुसार जीएसटी, टी.डी.एस. की कटौति की जावेगी एवं आगामी बिल के भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. जमा का चालान प्राधिकरण में प्रस्तुत करने पर ही आगामी बिलों का भुगतान किया जावेगा। तथा नियमानुसार आयकर टी.डी.एस. की कटौति भी भुगतान से की जावेगी।
7. डीजल/पेट्रोल/ऑयल/चालक/मेन्टीनेन्स एवं चालक आदि का पूर्ण व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। चालक को निर्धारित वर्दी में रहना आवश्यक होगा। वाहन में किसी तरह की टूट–फूट या दुर्घटना के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। वाहन का चालान होने पर अनुबन्धकर्ता उत्तरदायी होगा।
8. वाहन से संबंधित पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण–पत्र/बीमा (प्रथम पार्टी) वाहन मालिक के नाम से होना आवश्यक है तथा उक्त दस्तावेजों को वाहन अनुबन्ध पर लगाने से पहले पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
9. अनुबन्ध पर उपलब्ध करवाये गये वाहन के वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स, नाम, पता, टेलीफोन/मोबाईल नम्बर का विवरण, पंजीयन, रोड़ टैक्स, फिटनेस, बीमा के दस्तावेज की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता वाहन चालक के व्यवहार एवं कार्य के लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा। वाहन चालक प्राधिकरण की ड्यूटी के दौरान मर्यादित आचरण करेगा तथा किसी अवांछनीय गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
10. वाहनों के किराये के ड्यूटी स्लिप सहित सम्बन्धित नियंत्रक/प्रयोगकर्ता अधिकारी से प्रमाणित कराके वाहन प्रकोष्ठ में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

(23)

11. न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिये प्राधिकरण बाध्य नहीं है। प्राधिकरण नियमानुसार स्वीकृत दरों पर सफल बोलीदाता के साथ–साथ अन्य समस्त तकनीकी योग्यता की पूर्ति करने वाले बोलीदाताओं से भी अनुबन्ध कर सकता है। एक से अधिक बोलीदाताओं से अनुबन्ध करने पर अनुपातिक प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। बोली स्वीकार करने के संबध में सचिव, जविप्रा का निर्णय सभी को मान्य होगा।
12. किसी भी विवाद के संबंध में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा तथा न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
13. सचिव जविप्रा द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निविदादाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।
14. सफल निविदादाता को दर अनुमोदित करने से 7 दिवस (कार्य दिवस) की अवधि में अनुबन्ध पत्र 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
15. निविदादाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर निविदा निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही उपापन संस्था द्वारा की जावेगी।
16. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 प्रावधानों के तहत् इस निविदा के साथ संलग्न Annexure-A, B & D बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। एक्ट की धारा–38 के अनुसार अपील करने पर Annexure-C एवं फार्म संख्या–1 भरकर एवं हस्ताक्षरित कर प्रक्रियानुसार सक्षम अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
17. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण वाहन शाखा से प्राप्त किया जा सकता है, लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्ति हेतु निविदा सूचना प्रकाशित होने/Portal पर अपलोड करने के 4 दिवस के अन्दर लिखित प्रार्थना–पत्र सदस्य सचिव, क्रय समिति कमरा नं0 24 जविप्रा, जयपुर को प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रत्युत्तर प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 दिवस में दे दिया जावेगा। प्रार्थी को दिया गया स्पष्टीकरण एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन SPP Portal/ JDA Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47)
18. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 and Rules-2013 प्रावधानों के अनुसार निविदाकर्ता संस्था के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा एवं समस्त Bidders द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
19. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012 के section-38 के तहत् कोई भी Bidder अथवा Proposed Bidder जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस Bid का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **सचिव, जविप्रा, जयपुर** के समक्ष नियमानुसार अवधि में अपील कर

सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी **आयुक्त जविप्रा, जयपुर** है। (अपील प्रारूप Annexure-C एवं Form-I के रूप में संलग्न है)।

20. अधिनियम में वर्णित अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित फीस रूपयें 2500/- है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो सचिव, जविप्रा, जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। द्वितीय अपील अधिकारी के सक्षम अपील करने हेतु फीस रूपयें 10000/- निर्धारित है। उक्त फीस अप्रतिदेय होगी।
21. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 80(2) में वर्णित सत्यनिष्ठा संहिता का पालन करना होगा।
22. किसी भी बोलीदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81(3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में संलग्न Annexure-A पर हस्ताक्षर कर बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
23. बोलीदाता को संलग्न Annexure-B के अनुसार एक घोषणा पत्र बोली के साथ सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा।
24. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 में वर्णित प्रावधान एवं समय-समय पर राज्य सरकार एवं प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देश/आदेश जो इस निविदा हेतु प्रासंगिक हो जविप्रा एवं सफल निविदादाता द्वारा मान्य होगें।
25. निविदा दर संविदा के लिए की जा रही है। अतः RTPP Rules 2013 के Rule 29 (क) के अनुसार कार्य हेतु न्यूनतम मात्रा की कोई गारन्टी नहीं है आवश्यकतानुसार वाहनों की आपूर्ति करवाई जावेगी।
26. किसी भी बोली को बिना कारण बताये बोली को निरस्त करने का अधिकार सचिव, जविप्रा, को होगा।
27. उपरोक्त शर्ते मैने पढ़ और समझ ली है। मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार है।
28. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा करों टैक्स के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशानुसार वैधानिक कटौतीया की जावेगी जैसे आयकर, जी.एस.टी.,टी.डी.एस, इत्यादि।

उपायुक्त (वाहन)

<u>*बोलीदाता के हस्ताक्षर*</u>

नामः-..

पताः-..

....

मोबाइल/दूरभाषः-..................................

25

उपायुक्त (वाहन) ज.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वित्तीय प्रपत्र वर्ष 2023–24

(दरें संलग्न शर्तों को पढ़कर कर अंकित करे)

	जयपुर शहर के लिए दर						जयपुर से बाहर जाने के लिए दर				
क्र.सं.	वाहनो का प्रकार	जयपुर के लिए दर 100 किलोमीटर तक एवं 8 घण्टे की दर प्रतिदिन		जयपुर शहर में 100 किलोमीटर से अधिक चलने पर तथा 8 घण्टे से अधिक होने पर दर प्रति घण्टे		अन्य विशेष विवरण	क्र. सं.	वाहनों का प्रकार	दर प्रतिकिलोमीटर (जयपुर से बाहर जाने वाले वाहनों को न्यूनतम 250 किलोमीटर के चार्जेज देय होगें)		रात्रि विश्राम चार्जेज (प्रति रात्रि)	अन्य विशेष विवरण
		नॉन ए.सी.	ए.सी.	नॉन ए.सी.	ए.सी.				नॉन ए.सी.	ए.सी		
1.	स्विफ्ट डिजायर						1.	स्विफ्ट डिजायर				
2.	इटियोस						2.	इटियोस				
3.	इनोवा क्रेस्टा						3.	इनोवा क्रेस्टा				
4.	टवेरा						4.	टवेरा				
5.	फोरच्यूनर						5.	फोरच्यूनर				
6.	बोलेरो						6.	बोलेरो				
7.	पिकअप						7.	पिकअप				

26

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

8.	महिन्द्रा एस. यू. वी 500					
9.	बस ए.सी. 25 सीटर माईक लगी हुई					
10.	बस ए.सी. 35 सीटर माईक लगी हुई					
11.	बस टेम्पू ट्रेवल्स					

8.	महिन्द्रा एस. यू. वी 500				
9.	बस ए.सी. 25 सीटर माईक लगी हुई				
10.	बस ए.सी. 35 सीटर माईक लगी हुई				
11.	बस टेम्पू ट्रेवल्स				

नोटः–दरें शब्दो एवं अंको में अंकित की जावे। जी. एस. टी. यदि देय हो तो पृथक से देय होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम...

पता...

....

मोबाईल नं...

76

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

(80)

[signature]
उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... affidavit) (Supported by an
7. Prayer: ....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

उपायुक्त ([illegible])
ज.वि.प्रा. जयपुर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

81

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

82

उपायुक्त (वाहन)
ज.वि.प्रा., जयपुर

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.